न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा.पत्र संख्याः– 139/2016

निर्णय दिनांकः– 01.04.021

उनवान

धापू पुत्री रूघा जाति बैरवा निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीया

बनाम

1. लड्डू पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
2. ग्यारसा पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
5. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री बाबुलाल कासलीवाल वकील प्रार्थीया

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में निम्न प्रकार है–

यह है कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 218 खसरा न0 3127 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम शोप तहसील उनियारा जिला टोंक है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तेनी आराजीयात है जो प्रार्थीया को अपने पिता मे विरासत से प्राप्त हुई है प्रार्थीया का विवाह हो चुका है तथा वह अपने ससुराल मे निवास करती है। उक्त आराजी को आधोली पर काश्त करवाती है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयत से अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। परन्तु प्रार्थीया औरतजात होने से प्रतिपक्षीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया को अपने जायज हक से वंचित होना पडेगा।

अतः प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना हे कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया की खातेदारी व काबिज काश्त उपरोक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावे।

TI. FESLA.15

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्त ली जाकर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण बाद सुचना के अनुपस्थित । प्रतिक्षीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। अतः दिनांक 16–08–2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने अपनी बहस में खंडन नहीं किया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वर्तमान मे प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम शोप के अनुसार प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। दिनांक 16.08.2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे। पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक

TI. FESLA.16